न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–5/2025 दायर दिनांक– 27.5.2025

GCMS NO:- 2025/118 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

छीतर आ. कल्याण जाति खाती नि0 रजलावता।

प्रार्थी

बनाम

कमला पुत्री रामकुंवार पत्नी रामावतार जाति खाती हाल निवासी भाकरवाडी देवरी तहसील उनियारा (कुल 8)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 27.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रजलावता मे खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.1456 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/2 नियत है। प्रार्थी वृद्व व अकेला व्यक्ति होने से अन्य सहखातेदारान अप्रार्थीगण आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर प्रार्थी से विवाद करते है। प्रार्थी ने दिनांक 16.4.2025 को अपने हिस्से की 1/2 भूमि का सीमांकन करने के लिए तहसीलदार साहब नैनवॉ को आवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 8 ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा भूमि पर कब्जा नही है इस कारण सक्षम न्यायालय से कब्जा प्राप्त करने का एवं पत्थरगढी करने का आदेश लाओं तब ही तुम्हारे 1/2 हिस्से का नाप करेंगे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, सीमाज्ञान आवेदन की प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। एकपक्षीय बहस सूनी गयी। बाद बहस के विवेचन, प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1284 का सीमांकन हेतु पूर्व मे आवेदन किया था अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि **ग्राम रजलावता के खसरा नम्बर 1284 पर सभी सहखातेदारान का कब्जा पाया जाता है तथा साथ ही यदि उक्त खसरा नम्बर 1284 पर समस्त खातेदारों की पत्थरगढी करवाने जाने बाबत् सहमति हो तो** नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ